

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर
 घाबरी बनाम डारिफे

मुकदमा संख्या / वर्ष 39/2006 : CS 7 2006/12

क्र. सं.	दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से
	20/4/24	पक्षावली पेश हुई। जमानतना उपायपत्रा पेश की गई। पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। अतः मुकदमा खारिज किया जाता है। पक्षों के बीच मुकदमा खारिज करने के लिए 16/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	16/7/24	पक्षावली पेश हुई। पीओ का कार्य समाप्त हो चुका है। अतः मुकदमा खारिज करने के लिए 17/8/24 को पेश हो।
	21/8/24	पक्षावली पेश हुई। पीओ का कार्य समाप्त हो चुका है। अतः मुकदमा खारिज करने के लिए 17/9/24 को पेश हो।
	17/10/24	पक्षावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त सफलता प्राप्त उनके अधिवक्ता को बाल-बाल अलग-अलग गड़ी। वादी व उनके अधिवक्ता को अगले से कोई भी उपस्थित करने के लिए वादी का वाद अफम हाजरी के लिए रवी के तारिख किया जाता है। पक्षावली फलतः अनुसार अफम वगैरह ले चुके हैं, बाद तकमील दाखिल कफ्तल है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

क्र. सं.	दिनांक आशा या कार्यवाही

